



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-05062026-273198
CG-CG-E-05062026-273198

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2772]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 2772]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे)

अधिसूचना

बिलासपूर, 1 जून, 2026

का.आ. 2866(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोकप्रयोजन के लिए, उस भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इस से उपलब्ध अनुसूची में दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् राजनंदगांव—नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण के साथ निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबध्द कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तिरोडा, गोंदिया जिले के तिरोडा तहसील, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार पर उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा जाँच करने के बाद यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे तो आदेश द्वारा आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखाकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबध्द व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् राजनंदगांव—नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

राजनंदगांव-नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र प्रकल्प

अ.क्र.	जिले का नाम	तहसिल का नाम	गाव का नाम	खातेदार का नाम व पता	सर्व्हे कमांक	भोगवटदार वर्ग	7/12 आराजी हे. आर	संपादनखालील क्षेत्र हे. आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोंदिया	तिरोडा	घोगरा	आशिष जवाहरलाल सोनेवाने व इतर	143	1	0.25.00	0.01.05
2				टेकचंद रघु परतेती व इतर	144	1	0.89.00	0.08.71
3				पुरणलाल हंसराज परतेती व इतर	170	1	1.04.00	0.00.55
4				तनासु रतन परतेती व इतर	171	1	0.24.00	0.09.36
5				विमलाबाई तुकडूजी भोंडे व इतर	172	1	0.07.00	0.03.32
6				नत्थू दौलत बिसेन	230	1	0.07.00	0.00.32
7				उमेद उर्फ राजेंद्र कुवरलाल शेंडे	233	1	1.41.00	0.04.07
8				हेमंतकुमार रमेश भांडारकर व इतर	236	1	0.30.00	0.01.36
9				सुनीता प्रभाकर भांडारकर	237	1	0.64.00	0.01.97
10				नागो किसन भांडारकर	238	1	1.50.00	0.02.73
11				गिरजाबाई समरीत बिसेन व इतर	240 / 1	1	0.29.00	0.00.47
					240 / 2	1	0.23.00	
							0.11.00	
12				मधु गुलाबराव शेंडे	240 / 3	1	0.12.00	
12	नत्थू दौलत बिसेन	229	1	0.43.00	0.00.77			
13	शंकर दुधराम खळोदे व इतर	173	1	0.34.00	0.00.26			
14	अरुण भिका खळोदे	174	1	0.29.00	0.03.12			

15	गोंदिया	तिरोडा	घोगरा	रामप्रसाद शितल खळोदे व इतर	175	1	0.29.00	0.01.97
16				गंगाधर यादोराव खळोदे व इतर	176	1	0.30.00	0.05.89
17				गिरजाबाई समरीत बिसेन व इतर	239 / 1	1	0.29.00	0.11.65
				कुल				0.57.57

[फा. सं. डीसीई/सी/एन.जी.पी./आर.जे.एन.-एन.जी.पी. तीसरी लाइन/20 ए/2]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)
NOTIFICATION

Bilaspur, the 1st June, 2026

S.O. 2866(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project. Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km) Chhattisgarh and Maharashtra in the District of Gondia in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Tiroda, District Gondia for land situated in Tiroda Tahsil of Gondia District, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km) Chhattisgarh and Maharashtra in Gondia District in the State of Maharashtra :-

Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km) Chhattisgarh and Maharashtra Project

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Name of Account holder & Address	Survey Number	Category of Land holding	Total area as per 7/12 (Ha)	Acquisition Area in (H.R./Sq.M)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gondia	Tiroda	Ghoghra	Aashish Jawaharlal Sonewane & Others	143	1	0.25.00	0.01.05
2				Tekchand Raghu Parteti & Others	144	1	0.89.00	0.08.71
3				Puranmal Hansraj Parteti & Others	170	1	1.04.00	0.00.55
4				Tanasu Ratan Parteti & Others	171	1	0.24.00	0.09.36
5				Vimalabai Tukduji Bhonde & Others	172	1	0.07.00	0.03.32
6				Nathu Daulat Bisen	230	1	0.07.00	0.00.32
7				Umed Urf Rajendra Kuwarlal Shende	233	1	1.41.00	0.04.07
8				Hemankumar Ramesh Bhandarkar & Others	236	1	0.30.00	0.01.36

9				Sunita Prabhakar Bhandarkar	237	1	0.64.00	0.01.97		
10				Nago Kisan Bhandarkar	238	1	0.50.00	0.02.73		
11	Gondia	Tiroda	Ghoghra	Girjabai Samrit Bisen & Others	240/1	1	0.29.00	0.00.47		
					240/2	1	0.23.00			
							0.11.00			
						Madhu Gulabrao Shende	240/3	1	0.12.00	
12						Nathu Daulat Bisen	229	1	0.43.00	0.00.77
13						Shankar Dudharam Khalode & Others	173	1	0.34.00	0.00.26
14						Arun Bhika Khalode	174	1	0.29.00	0.03.12
15						Ramprasad Shital Khalode & Others	175	1	0.29.00	0.01.97
16						Gangadhar Yadorao Khalode & Others	176	1	0.30.00	0.05.89
17			Girjabai Samrit Bisen & Others	239/1	1	0.29.00	0.11.65			
Total								0.57.57		

[F. No. DCE/C/NGP/RJN-NGP 3rd line /20A/2]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con)